WEEKLY FOCUS
#58 WEEK 1 FEB 2022

निर्वाचन संबंधी सुधार: प्रभावी लोकतंत्र के लिए एक दृष्टिकोण

वास्तविक लोकतांत्रिक निर्वाचन संप्रभुता की अभिव्यक्ति है जो किसी देश के लोगों से संबंधित होती है। लोगों की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति सरकार के अधिकार और वैधता को आधार प्रदान करती है।

परिचय

शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन राजनीति का एक अभिन्न अंग हैं। राजनीति, राजनीतिक शक्ति से संबंधित कला और अभ्यास है जबकि निर्वाचन इस प्रकार की शक्ति के विधिमान्यकरण (legitimization) की एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र वास्तव में इस विश्वास पर ही कार्य कर सकता है कि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं और इनमें धोखाधड़ी एवं हेरफेर नहीं शामिल होती है।

भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं की भागीदारी के साथ नियमित निर्वाचन का साक्षी रही है। **निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन के मूल मूल्यों** की रक्षा हेतु भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) सदैव उन तरीकों को खोजने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है जिनके माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता और अखंडता को संरक्षित किया जाता है। हालांकि, निर्वाचन प्रणाली में चुनौतियां निरंतर बनी हुई हैं और निर्वाचन सुधार करने में प्रत्येक विलंब लाखों नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है।

इस पृष्ठभूमि में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन क्या होते हैं और लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका है? भारत में निर्वाचन प्रक्रिया कैसे विकसित हुई? भारत में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे क्या हैं? निर्वाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधार किए गए हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के स्वप्न को साकार करने का रोडमैप क्या होना चाहिए? इस लेख में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे।

निर्वाचन क्या होते हैं और लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका है?

निर्वाचन शब्द लैटिन शब्द 'एलिगेरे' से आया है, जिसका अर्थ चुनना (choose), चयन करना (select) या चुनाव करना (pick) है। निर्वाचन एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र में लोगों की स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से सार्वजनिक पद धारण करने के लिए नियमित अंतराल पर किसी **व्यक्ति को चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया है।**

मतदान के अधिकार के माध्यम से नागरिकों को अपने देश और तत्पश्चात स्वयं से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर प्राप्त होता है।

लोकतंत्र में निर्वाचनों की भूमिका

- **उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार बनाना:** निर्वाचन मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने और उनके कार्यकाल के दौरान उनके निष्पादन के लिए उन्हें जवाबदेह बनाने में सक्षम बनाता है।
- **नेतृत्व में परिवर्तन:** निर्वाचन लोगों के लिए सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने का एक माध्यम है। अन्य दलों के पक्ष में मतदान करके एक पृथक सरकार चुनने में सहायता करके नागरिक यह दर्शाते हैं कि अंतिम अधिकार उन्हीं के पास ही है।
- **राजनीतिक भागीदारी:** निर्वाचन नए मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाए जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि भारत का कोई नागरिक ऐसे सुधारों को लागू करना चाहता है जो किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडा में शामिल नहीं है, तो वह स्वतंत्र रूप से या एक नए राजनीतिक दल का गठन करके चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है।
- **स्व–सुधारात्मक प्रणाली:** चूंकि निर्वाचन एक नियमित अभ्यास है जो भारत में प्रत्येक पांच वर्ष में कराए जाते हैं, अतः इससे सत्ताधारी दलों को नियंत्रण में रखा जा सकता है और उन्हें जनता की मांगों पर विचार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

- **लोकतंत्र की निरंतरता:** नियमित और आवधिक निर्वाचनों की प्रक्रिया से चुने जाने की अनिवार्यता के द्वारा जनप्रतिनिधियों को नियंत्रित करने की संभावना नेतृत्व में उत्तराधिकार की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है और इस प्रकार लोकतंत्र की निरंतरता में योगदान करती है।
- **सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण को सुगम बनाना:** साझे अनुभवों की स्मृति में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अवकाशों की तरह निर्वाचन, नागरिकों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं और इस तरह राजनीति की व्यवहार्यता की पुष्टि करते हैं।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वामित्व ग्रहण करना:** मतदान लोगों को अपनी बात रखने और, तरफदारी व्यक्त करने के माध्यम से, अपनेपन की भावना महसूस करने की आवश्यकता को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। यहां तक कि मतदान नहीं करके भी कुछ लोग राजनीतिक समुदाय के प्रति अपने अलगाव को व्यक्त करते हैं।
- **राष्ट्रवाद और देशभक्ति का प्रतीक:** देश में चाहे कितनी ही राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय विविधताएं क्यों न हों, निर्वाचन ऐसे आयोजन हैं जो भावनाओं को जागृत करके और उन्हें सामूहिक प्रतीकों की ओर अग्रसर करके दैनिक जीवन की नीरसता को समाप्त करते हैं और साझा भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

भारत में निर्वाचन प्रणाली को समझना

निर्वाचन **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के आधार पर कराए जाते हैं। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है, वह भारत की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है। **धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं** किया जाता है।

लोकसभा में **अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है (SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें),** राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं में भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

परिसीमन आयोगों की मदद से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। क्षेत्र/सीमाएं चुनाव-दर-चुनाव परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वर्ष 2026 तक परिवर्तित नहीं की जाएगी।

निर्वाचन हेतु लोकसभा के मामले में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (FPTP) के माध्यम से और राज्यसभा के मामले में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली के माध्यम से मतदान होता है।

राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया

- नामांकन भरना
- नामांकन का विश्लेषण
- चुनाव के लिए प्रचार
- मतदान का दिन
- मतगणना और परिणाम की घोषणा
- सत्तारूढ़ दल का गठन

निर्वाचन की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (FPTP) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली की तुलना

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (FPTP)	आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR)
देश को छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है।	बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में सीमांकित किया जाता है। संपूर्ण देश एक एकल निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है।	एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।
मतदाता एक उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं।	मतदाता दल के लिए मतदान करते हैं।
किसी दल को विधानमंडल में वोटों से ज्यादा सीटें प्राप्त हो सकती हैं।	प्रत्येक दल को प्राप्त हुए वोटों के प्रतिशत के अनुपात में विधानमंडल में सीटें मिलती हैं।
चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत (50% + 1) वोट नहीं भी प्राप्त हो सकते हैं।	चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है।
उदाहरण: यूनाइटेड किंगडम, भारत	उदाहरण: इज़राइल, नीदरलैंड

भारत में निर्वाचन प्रणाली/मशीनरी

भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन जिले के चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है।

पीठासीन अधिकारी (presiding officer) मतदान अधिकारियों की सहायता से एक मतदान केंद्र पर मतदान आयोजित करता है।

बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) पात्र नागरिकों को मतदाता बनने और मतदाता कार्ड प्राप्त करने में सहायता करता है।

भारत में निर्वाचन प्रक्रिया कैसे विकसित हुई?

भारत में प्राचीन काल से ही लोकतंत्र विद्यमान था। **वैदिक युग** के हमारे शास्त्रों में अपने मुखिया का चुनाव करने वाले लोगों का सुस्पष्ट विवरण मिलता है। इसके अनुसार **महान वैशाली गणराज्य** के लोगों द्वारा शांति और युद्ध के समय नेतृत्व करने के लिए अपने प्रमुख 'गणपति' का चुनाव किया जाता था। अन्य विद्वान और कुलीन व्यक्तियों द्वारा निर्णय निर्माण में उसकी सहायता की जाती थी, जैसे वर्तमान मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है।

क्या आप जानते हैं?

विश्व में **सर्वप्रथम प्राचीन यूनानियों ने ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी के आसपास एक लोकतंत्र का निर्माण** किया था। यूनानियों में एक **"नकारात्मक" निर्वाचन** पद्धति होती थी, अर्थात प्रत्येक वर्ष मतदाताओं (जिनमें से अधिकांश पुरुष भू–स्वामी होते थे, जबकि महिलाएं, बच्चे, दास आदि मतदान नहीं कर सकते थे), से उस राजनीतिक नेता या उन उम्मीदवारों के लिए मतदान करने के लिए कहा जाता था जिन्हें वे अगले दस वर्षों के लिए निर्वासित करना चाहते थे।

ब्रिटिश शासन के दौरान निर्वाचनों के विकास के प्रमुख पड़ाव:

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892: निर्वाचन के अप्रत्यक्ष प्रावधान की शुरुआत की गई।

भारत सरकार (GOI) अधिनियम, 1919: द्विसदनीय और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई।

वर्ष 1930: सामान्य निर्वाचन कराए गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) द्वारा उसका बहिष्कार किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935: कुल आबादी के 14 प्रतिशत तक मताधिकार का विस्तार किया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात निर्वाचनों के विकास में प्रमुख पड़ाव:

वर्ष 1950: अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की स्थापना की गई और संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 पारित किया।

वर्ष 1951: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचनों के संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 पारित किया गया, प्रथम परिसीमन आदेश जारी किया गया।

वर्ष 1952–57: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहली बार लोकसभा के सामान्य निर्वाचन कराए गए, ECI द्वारा पहले और दूसरे आम चुनावों के लिए मतदान की 'मतपत्र प्रणाली (Ballot System)' को अपनाया गया।

वर्ष 1962: वर्ष 1962 में तीसरे सामान्य निर्वाचन से ECI द्वारा मतदान की 'चिन्ह प्रणाली (marking system) को अपना लिया गया।

वर्ष 1982: केरल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से मतदान की शुरुआत की गई।

वर्ष 1985: दलबदल विरोधी कानून पारित किया गया और भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया।

वर्ष 2002: वर्ष 2002 में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) नें संभावित संशोधनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जैसे ECI बूथ कैप्चरिंग के संबंध में निर्णय ले सकता है, चुनाव को रद्द कर सकता है और नए चुनाव का आदेश दे सकता है।

वर्ष 2008: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की रिपोर्ट ने कई अनुशंसाएं की, जैसे अनावश्यक वित्तपोषण के दायरे को कम करने के लिए आंशिक राज्य वित्तपोषण आदि।

वर्ष 2018: चुनावी बांड (Electoral bond) की शुरुआत की गई।

वर्ष 2021: कुछ निर्वाचन सुधारों के क्रियान्वयन हेतु लोकसभा में निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया।

यद्यपि हमारे देश में प्रथम तीन सामान्य निर्वाचन (1952–62) कुल मिलाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए थे, तथापि वर्ष 1967 में चौथे सामान्य निर्वाचन के दौरान मानकों में एक स्पष्ट गिरावट प्रारंभ हुई। विगत कई वर्षों से भारतीय निर्वाचन प्रणाली विभिन्न गंभीर कमियों से ग्रस्त रही है और देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के जनक होने के रूप में इसकी आलोचना की जाती है।

भारत में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

- **निर्वाचनों का वित्तपोषण:** विगत कुछ वर्षों में **चुनावों में किए जाने वाले वास्तविक व्यय और विधिक रूप से अनुमत व्यय के बीच अंतराल में वृद्धि हुई है**। यह चौतरफा **भ्रष्टाचार** को बढ़ावा देता है और मुख्य रूप से काले धन के सृजन में योगदान करता है।

- **बाहुबल:** हिंसा, चुनाव से पहले डराना–धमकाना, चुनाव के बाद अत्याचार, धांधली, बूथ कैप्चरिंग आदि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक समर्थकों के उपकरण बन गए हैं। ये देश के कई भागों (बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि) में प्रचलित हैं और धीरे–धीरे पूरे भारत में इसका प्रसार हो रहा है।
- **सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग:** चुनाव के समय सत्ताधारी दल प्रायः **अपने दल के उम्मीदवारों की चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आधिकारिक मशीनरी का अनुचित उपयोग** करते हैं। इससे **सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ** मिलता है और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है।
  - ★ यह विभिन्न रूपों में होता है, जैसे अपनी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए **सरकार की लागत और सरकारी खजाने से** विज्ञापन करना, प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करना आदि।
- **राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण:** आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और संसद, राज्य विधानसभाओं एवं अन्य प्रतिनिधि निकायों के लिए निर्वाचित हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, राजनीतिक दल धन और बाहुबल के लिए अपराधियों का सहयोग लेते हैं और बदले में उन्हें राजनीतिक संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह राजनेताओं और अपराधियों के बीच बढ़ते गठजोड़ के कारण होता है।
  - ★ **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)** के अनुसार मौजूदा लोकसभा में 233 सांसद आपराधिक अभियोगों का सामना कर रहे हैं।
- **राजनीतिक दलों में दिखावटी उम्मीदवार:** हाल के वर्षों में चुनावों में निर्दलीय/कम गंभीर उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे उम्मीदवार जीतने के उद्देश्य से चुनाव में खड़े नहीं होते हैं। ये कम–गंभीर उम्मीदवार मुख्य रूप से या तो प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के वोटों के बड़े हिस्से को काटने के लिए या मतदान और मतगणना केंद्रों पर अतिरिक्त भौतिक बल रखने का दबाव बनाने के लिए खड़े किए जाते हैं।
  - ★ उम्मीदवारों की बहुलता से निर्वाचन प्रबंधन में निर्वाचन अधिकारियों को असुविधा होती है और मतदाता को भी सही उम्मीदवार की पहचान करने में कठिनाई होती है। **इससे निर्वाचन की शुचिता प्रभावित होती है।**
- **जातिवाद:** अपने पक्ष में विभिन्न जाति समूहों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कई राजनीतिक दल सभी स्तरों पर जाति के आधार पर नीतियों, कार्यक्रमों का निर्धारण करने के साथ ही जाति के आधार पर उम्मीदवारों का नामांकन भी कराते हैं। इसलिए, उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, क्षमता और योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर किया जाता है।
- **सांप्रदायिकता:** धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के उभरने के साथ ही **सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद की राजनीति** के कारण चुनावों के समय देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में **धर्मनिरपेक्षतावादियों और संप्रदायवादियों के बीच संघर्ष और विवाद** की स्थिति उत्पन्न होती है।

- **सोशल मीडिया का प्रभाव:** फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंचों की भूमिका चुनाव प्रचार में केंद्रीय हो गई है और राजनीतिक दलों के लिए ये महत्वपूर्ण बन गए हैं।
- **भ्रामक खबरें:** मतदाता के विचारों को प्रभावित करने या राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मतदाता को जानबूझकर गलत सूचना देने या धोखा देने के लिए सोशल मीडिया पर राजनीतिक रूप से भ्रामक कहानियां या अफवाहें फैलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 में **वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक जांच** यह दर्शाती है कि फेसबुक ने जानबूझकर भारत में एक राजनीतिक दल के सदस्यों की घृणास्पद सामग्री को अपने मंच पर रहने देने की अनुमति दी थी, जिससे सार्वजनिक जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था।
- **चुनावों में कम मतदाताओं की भागीदारी:** मतदाताओं की भागीदारी चुनावी प्रक्रिया की वैधता के लिए एक आवश्यक मापक है। किन्तु भारतीय आबादी में लगभग 40% लोग प्रक्रिया के साथ–साथ राजनीतिक दलों में विश्वास की कमी सहित विभिन्न कारणों से चुनाव के दौरान अपना मत नहीं डालते है।

एक वार्तालाप !
चुनाव में मतदान करना कितना आवश्यक है?

विनय: मैंने मतदान नहीं किया। चूंकि मतदान का दिन एक अवकाश का दिन था, इसलिए मैं किसी कार्य से बाहर चला गया था। दरअसल, मैं कभी मतदान नहीं करता!

विनी: आप मतदान कैसे छोड़ सकते हैं?

विनय: मतदान का क्या लाभ? हर हाल में सरकार गरीबों और अमीरों के लिए कार्य करती है। मध्यम वर्ग कड़ी मेहनत करने और कर का भुगतान करने के लिए ही है। इन दिनों गरीबों के वोट भी पैसे या शराब के जरिए खरीदे जाते हैं।

विनी: मुझे लगता है कि चुनाव में मतदान करना महत्वपूर्ण है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जिसे चुनना चाहते हैं उसे चुनें और साथ ही यह परिवर्तन लाने का अधिकार भी है।

विनय: हाँ, मैं जानता हूँ कि यह हमारा अधिकार है। किन्तु, मेरे मत की गणना शायद ही होती होगी। यदि मैं मतदान न भी करूं तो क्या, दूसरे मतदान करेंगे। कुल मिलाकर यदि मेरा मत मायने नहीं रखता है तो कड़ी धूप में खड़े होने का क्या मतलब है।

विनी: मतदान प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक के मत की गणना होती है। यदि दो उम्मीदवारों में से प्रत्येक को बराबर मत प्राप्त होते है, तो एक मत भी गेम–चेंजर और निर्णायक हो सकता है।

विनय: हाँ विनी। तुम सही कह रही हो। लेकिन, मुझे कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है! मुझे किसे मतदान करना चाहिए?

विनी: आप अभी भी उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA) विकल्प के लिए मतदान कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं।

विनय: हाँ, वो विकल्प तो है। किन्तु मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। सरकार का गठन फिर भी होगा और वह हमेशा की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी।

विनी: किन्तु यदि आप मतदान नहीं कर रहे हैं, तो आप शिकायत करने का अधिकार भी खो देते हैं। मतदान हमें सरकारों को जवाबदेह बनाने की शक्ति देता है और अपनी शक्ति का प्रयोग करने के बाद ही आप चीजों के बदलने की उम्मीद कर सकते हैं। विनय: हाँ विनी, मुझे लगता है कि तुम सही हो। हमारा मत हमारी आवाज और सभी के कल्याण के लिए एक अवसर है। आगामी चुनाव में मैं निश्चित रूप से मतदान करूँगा, धन्यवाद।

चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या सुधार किए गए हैं?

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हाल के दिनों में कई कदम उठाए गए हैं।

पारदर्शिता को बढ़ावा देना:

- बढ़ी हुई जवाबदेही सुनिश्चित करने, काले धन के बढ़ते खतरे को दूर करने तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए **चुनावी बांड (2018) प्रस्तुत करना।**
- **आय के स्रोतों की अनिवार्य घोषणा:** 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु स्वयं के और अपने परिवार के सदस्यों के आय–स्रोतों का ब्यौरा देना होगा।
- **पूर्ण प्रकटीकरण:** यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय आपराधिक रिकॉर्ड सहित सभी व्यक्तिगत जानकारियां प्रस्तुत करनी होंगी।

बढ़ती मतदाता भागीदारी:

- **मतदान की आयु कम करना:** 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 ने क्रमशः लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचनों में मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया।
- **डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान:** 2013 में, ECI ने देश में पोस्टल बैलेट वोटिंग के दायरे को 6 नई श्रेणियों के मतदाताओं तक विस्तारित करने का निर्णय लिया।
  - पहले, केवल विदेशी मिशनों में कार्यरत भारतीय कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी ही सीमित स्तर पर डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान कर सकते थे।
- चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021: मतदाता सूची डेटा को आधार पारितंत्र से लिंक करने, लिंग तटस्थ प्रावधान लाने और मतदाता सूची तैयार करने या संशोधन के लिए चार अर्हता तिथियों का प्रावधान करने जैसे सुधारों के लिए लाया गया।

अब अधिक महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं
(More Women Are Contesting Election Now)

पिछले 20 वर्षों में राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या में होने वाली वृद्धि पर एक नजर

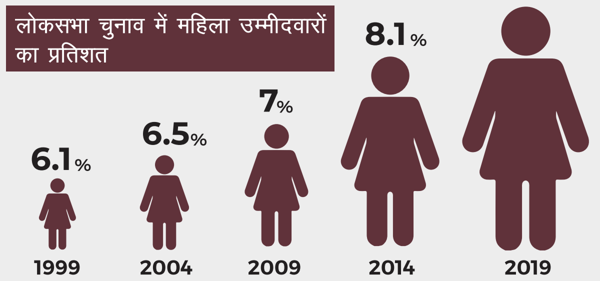

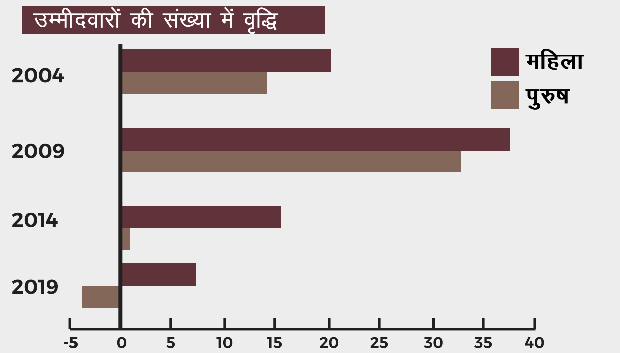

क्या भविष्य में ई–वोटिंग एक विकल्प हो सकता है?

आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने वोट का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनके लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल या असुविधाजनक होता है।

इसके समाधान के रूप में, **तेलंगाना सरकार देश में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके अपनी तरह का पहला ई–वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समाधान लागू कर रही है।**

भारत के **उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (CDAC)** द्वारा विकसित, इस तकनीक का वर्तमान में तेलंगाना के खम्मम जिले में उपयोग किया जा रहा है।

ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि **फर्जी आईडी और वोटिंग के दोहराव का मुद्दा समाप्त हो गया है।** यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, तो राष्ट्रीय, राज्य और यहां तक कि स्थानीय स्तर के चुनाव (जो प्रायः मतदाता के ध्यान से बाहर होते हैं) **में मतदाताओं की भागीदारी में काफी वृद्धि हो सकती है।**

- **मतदान प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना:**
  - चुनावी धोखाधड़ी और चुनाव कराने की लागत को कम करने के लिए **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)** मशीनों का प्रस्ताव किया गया।
  - किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने वाले मतदाताओं को सक्षम बनाने के लिए EVM पर NOTA **विकल्प की शुरुआत करना।**
- **चुनावों की शुचिता को बनाए रखना:**
  - दल–बदल को रोकने और सरकार को अधिक स्थिरता प्रदान करने के लिए **दल–बदल विरोधी कानून को अधिनियमित करना।**
  - गैर–गंभीर उम्मीदवारों को बाहर करने के लिए **प्रस्तावकों की संख्या एवं जमानत राशि में वृद्धि करना।**
  - **राजनेताओं का अभियोजन:** 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने सांसदों और राजनेताओं के विरुद्ध आपराधिक मामलों के निपटान हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि इन मुकदमों में तेजी लाई जा सके और उन्हें एक वर्ष में पूरा किया जा सके।
- **एक समान प्रतियोगिता क्षेत्र का निर्माण करना:**
  - **आदर्श आचार संहिता:** 1996 में, निर्वाचन आयोग ने पहली बार आदर्श आचार संहिता लागू की थी। इसमें नई परियोजनाओं की घोषणाओं पर प्रतिबंध, सत्ताधारी दल द्वारा उद्घाटन या वित्तीय अनुदान, सरकारी आधारिक संरचना पर एकाधिकार, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं का उपयोग करने पर प्रतिबंध आदि शामिल हैं।
    - **cVIGIL ऐप:** इस ऐप को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर नागरिकों को रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने हेतु ECI द्वारा लॉन्च किया गया था।
    - **चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा:** निर्वाचन आयोग ने व्यक्तिगत उम्मीदवारों के व्यय की सीमा निर्धारित की है। लोक सभा चुनाव के लिए यह सीमा 50–70 लाख रुपये (राज्य के आधार पर जहाँ की लोकसभा सीट पर वे चुनाव लड़ रहे हैं) और विधान सभा चुनाव के लिए 20–28 लाख रुपये तक है।
    - **एग्जिट पोल पर प्रतिबंध:** निर्वाचन आयोग ने 2019 के लोक सभा चुनाव से पहले एक बयान जारी किया था कि एग्जिट पोल के नतीजे अंतिम चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद ही प्रसारित किए जा सकते हैं। ऐसा संभावित मतदाताओं को किसी भी तरह से गुमराह या पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से बचाने के लिए किया गया था।

आधार और मतदाता पहचान पत्र को लिंक करना और इस कदम से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

वर्ष 2015 में, मतदाता सूची को 'त्रुटिरहित' करने के लिए मतदाता पहचान पत्र या EPIC (इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड) के साथ आधार के प्रतिचित्रण की परियोजना को राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम (NERPAP) के साथ शुरू किया गया था। परियोजना का परिणाम वर्ष 2018 में तब देखा गया जब तेलंगाना विधानसभा चुनाव में, लाखों मतदाता अपना वोट नहीं डाल पाए थे क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची से बिना सूचित सहमति के हटा दिया गया था।

बिल में आधार के उपयोग से जुड़ी कुछ चिंताएं इस प्रकार हैं:

- **आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है** बल्कि यह **सभी निवासियों की केवल एक डिजिटल पहचान है।** भारत में 182 दिनों का निवास एक गैर–नागरिक को भी आधार आईडी के लिए योग्य बना सकता है।
- **आधार को केवल एक पहचान प्रमाण के रूप लाया गया था न कि पते (address) के प्रमाण के लिए।** इसके विपरीत, निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 (आरपीए 1950 के तहत तैयार किया गया) स्पष्ट रूप से पते को मतदाता सूची के लिए एक प्रमुख सूचकांक के रूप में निर्धारित करता है।
- आधार के दोहराव समाप्त (deduplication) करने की प्रभावशीलता या आधार डेटाबेस की प्रामाणिकता पर **सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।**
- मतदाता सूची का रख–रखाव करना निर्वाचन आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। जबकि आधार एक सरकारी साधन है और UIDAI सरकार के नियंत्रण में है। चूंकि **आधार में नामांकन या दोहराव समाप्ति** (deduplication) **पर निर्वाचन आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है,** इसलिए मतदाता सूची के लिए आधार का उपयोग करना अनुचित और संभावित हितों के टकराव जैसा प्रतीत होता है।

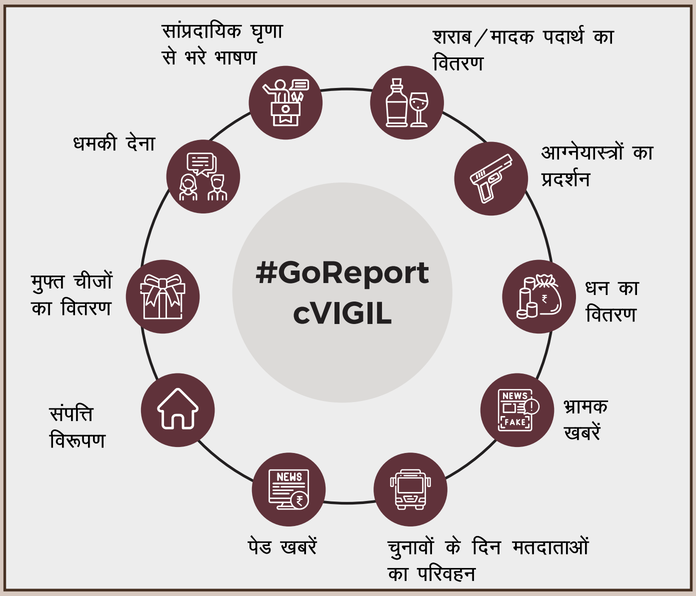

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आउटरीचः** ECI, चुनाव प्रबंधन में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन विचारों एवं प्रथाओं को उत्पन्न करने वाले द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रगतिशील प्रयास कर रहा है।
    - उदाहरण के लिए, वर्ष 2010 में हस्ताक्षरित भारत–अमेरिका संयुक्त घोषणा पत्र में अन्य इच्छुक देशों में निर्वाचन संगठन और प्रबंधन को सशक्त बनाने में सहयोग करने के लिए सहभागिता का पता लगाने का भी वादा किया गया था।

उपर्युक्त उपाय प्रशंसनीय होने के बावजूद अपर्याप्त रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद भी, भारत बाकी मुद्दों के साथ–साथ लैंगिक असमानता, निरक्षरता, अनुसंधान और नवाचार में प्रगति की कमी से ग्रस्त है। इस तरह के मुद्दे अभी भी व्याप्त हैं, इसलिए एक समावेशी लोकतंत्र से गुणवत्तापूर्ण जन प्रतिनिधियों के उदय की तत्काल आवश्यकता है।

क्या चुनाव एक महामारी के दौरान विश्वसनीय हो सकते हैं?

चुनावी प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय चुनावी परिणाम देना है। **समावेशिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और प्रतिस्पर्धात्मकता विश्वसनीय चुनावों की विशेषता होती है।**

कोविड महामारी ने विश्व भर में चुनावों में अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चुनावी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने **हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं,** जैसे कि प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या को सीमित करना, डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान करना, घर–घर जाकर प्रचार करना आदि। साथ ही राजनीतिक दल एवं नागरिक समाज संगठन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए **सोशल मीडिया पर वर्चुअल प्रचार** जैसे नए तरीके अपना रहे हैं।
हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, **कम मतदान, प्रचार की असमान स्थिति और सीमित घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन** से चुनाव की वैधता पर असर पड़ने का खतरा है।
इन **व्यापक व्यवधानों और नए नवाचारों के समक्ष** आने वाले राजनीतिक परिणाम बहुत व्यापक हैं जैसे कि:

- **वैधता को कम करना:** सार्वजनिक कार्यक्रमों का अभाव मतदाताओं की भागीदारी को कम करता है, जिससे पदधारियों को बढ़त मिलती है। साथ ही कम मतदान प्रतिशत निर्वाचित होने वाले व्यक्ति/दल की वैधता और शासी जनादेश को कम कर सकता है।
- **परिणाम सही अर्थों में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं:** समाज के कुछ वर्गों पर अनुचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं जैसे कि वृद्ध आयु वर्ग या कमतर स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों की असमान भागीदारी होती है।
- **एकसमान कार्य क्षेत्रों का अभाव:** महामारी के समय में हुए चुनाव से एक पदधारी को लाभ हो सकता है। यह पदधारी विपक्षी उम्मीदवारों (जिनके पास संसाधनों की कमी है, किंतु जिन्हें प्रचार के नए तरीकों के साथ तालमेल बैठाने की जरुरत पड़ सकती है) पर एक प्रमुख संकट प्रतिक्रिया का नेतृत्व करने से लाभान्वित हो सकता है।

- **पारदर्शिता का संकटः** परंपरागत रूप से, चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और यह प्रमाणित करने के लिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक समूहों द्वारा चुनावों की निगरानी की जाती है। कोविड प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति के कारण घरेलू चुनाव पर्यवेक्षकों जैसे नागरिक समाजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, उनकी निगरानी वर्तमान में मतदान केंद्रों के सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन तक ही सीमित होती है।

क्या कोविड काल के दौरान चुनावों को स्थगित कर दिया जाना चाहिए?

चुनाव स्थगित करने का निर्णय **राजनीतिक अधिकारों को निलंबित करता है** और इस तरह सरकार और उसके नागरिकों के बीच सामाजिक अनुबंध को कमजोर करता है।

इस कदम की इस आधार पर और आलोचना की जा रही है कि पदधारी इस देरी का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने एवं अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कर रहे हैं।

बीच का रास्ता क्या है?

वर्तमान संदर्भ में, चुनाव कराते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

- **सरकारों को** चुनावों के प्रभावी प्रशासन के लिए **अतिरिक्त बजटीय सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है।**
- **निर्वाचन निकायों को** नागरिक समाज के समर्थन से **मतदाता शिक्षा अभियानों में निवेश करना चाहिए**, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा उपायों एवं पंजीकरण तथा मतदान की विधियों में परिवर्तन, दोनों को रेखांकित किया गया हो।
- मतदान कर्मियों और घरेलू पर्यवेक्षकों **की अधिक मात्रा में भर्ती की जाए और वे प्रशिक्षण प्रयासों में शामिल हों** और जहां तक संभव हो, परीक्षण से पूर्व तकनीक को शुरू करने से बचा जाए।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड द्वारा वैकल्पिक मतदान व्यवस्था प्रदान की जा रही है, जैसे–ऑनलाइन टेलीफोन श्रुतलेख मतदान सेवा; प्रॉक्सी वोटिंग आदि। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया ने कोविड रोगियों के लिए विशेष मतदान केंद्र, डाक मतदान की प्रक्रिया आदि की शुरुआत की है।

महामारी के दौरान भी चुनाव विश्वसनीय हो सकते हैं, किंतु देरी करने से अधिक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उपर्युक्त निवेश, चुनावों पर महामारी के विघटनकारी प्रभाव को कम करने तथा भारतीय लोकतंत्र को इस असामान्य रूप से चुनौतीपूर्ण समय में ट्रैक/सही मार्ग पर बने रहने में मदद करने के लिए जरूरी है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सपने को साकार करने का रोडमैप क्या होना चाहिए?

- **सहभागी लोकतंत्र:** मतदाता भागीदारी में आने वाली बाधाओं जैसे– मतदान के प्रति युवा उदासीनता, लैंगिक अंतराल, शहरी उदासीनता और कमजोर वर्गों का नामांकन आदि को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है।
- **युवा भागीदारी:** नीति–निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और चुनावी प्रशासन आदि में युवाओं की संस्थागत स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए चुनावी प्रबंधन निकायों (EMBs) के संस्थागत ढांचे में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना।
  - ★ **महिला प्रतिनिधित्व:** इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी की 48% महिलाएं हैं, फिर भी स्वतंत्रता के बाद से लोक सभा में कभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12% तक नहीं पहुंचा है।
    - महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण से संबंधित विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में तेजी लायी जानी चाहिए।

चुनावों हेतु राज्य द्वारा वित्तपोषण

राज्य द्वारा राजनीतिक दलों या उनके चुनाव अभियान का वित्तपोषण समय–समय पर विश्व के कई देशों के राजनीतिक शास्त्रियों के साथ–साथ राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच बहस का विषय रहा है।

यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या राज्य को चुनावों हेतु वित्तपोषण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी देनी चाहिए या राजनीतिक दलों की नीतियों के विकास में आर्थिक रूप से योगदान देना चाहिए और उनकी घोषणा–पत्र की नीतियों के विकास में सहायता करनी चाहिए। नीचे इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं।

पक्ष	विपक्ष
समृद्ध लोगों और माफियाओं के प्रभाव को सीमित करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया स्वच्छ बनी रहती है।	यथास्थिति को प्रोत्साहित करती है जिससे स्थापित राजनीतिक दल या उम्मीदवार सत्ता में बने रहते हैं तथा नई पार्टियों के लिए जीतना मुश्किल बना देता है।
पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की मांग, महिलाओं के प्रतिनिधित्व, कमजोर वर्गो की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है।	क्योंकि पार्टियां, पार्टी फंड जुटाने के लिए नागरिकों पर निर्भर नहीं होती हैं। इसलिए यह राजनीतिक नेताओं और आम नागरिक के बीच दूरियों को बढ़ा देता है।

- **वित्तीय पारदर्शिता:** चुनावी अवधि के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्चों की एक सीमा होनी चाहिए। उन्हें खातों का यथोचित रखरखाव करना चाहिए और ऐसे खातों का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा अनुशंसित और अनुमोदित लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए तथा जनता की जानकारी के लिए उन्हें उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
    - **सार्वजनिक जांच:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत राजनीतिक दलों को सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
    - **राज्य का वित्तपोषण:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट "शासन में नैतिकता" में सिफारिश की गई है कि चुनावी खर्च हेतु अवैध और अनावश्यक वित्तपोषण के दायरे को कम करने के लिए एक आंशिक राज्य वित्तपोषण प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।

आम नागरिकों से राजनीतिक दलों में ज्यादा योगदान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए पार्टियां कॉरपोरेट और समृद्ध व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले वित्तपोषण पर निर्भर करती हैं। इसलिए यह आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करता है।	राजनीतिक दल नागरिक समाज के अंग होने के बजाय राज्य के अंग बन जाते हैं।
पार्टी और उम्मीदवार के वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाता है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।	करदाताओं को उन राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों का भी समर्थन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके विचारों से वे सहमत भी नहीं होते हैं।

- **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र:** राजनीतिक दलों में आंतरिक स्तर पर भी लोकतांत्रिक होना चाहिए एवं उम्मीदवारों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें पार्टी के सभी आंतरिक पदों के लिए चुनावों हेतु अनिवार्य गुप्त मतदान अपनाया जा सकता है तथा भारत के चुनाव आयोग की देखरेख में पंजीकृत सदस्यों द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है।

    - **नियामक ढांचा:** वर्ष 1999 के विधि आयोग की रिपोर्ट ने **राजनीतिक दलों के आंतरिक ढांचे और आंतरिक लोकतंत्र को नियंत्रित करने के लिए** एक नियामक ढांचे की शुरुआत की सिफारिश की थी। यहां तक कि, राजनीतिक दल (पंजीकरण और कार्य विनियमन) अधिनियम, 2011 का एक मसौदा विधि मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया था।

- **राजनीति का अपराधीकरण:** चुनाव आयोग ने यह सुझाव दिया है कि 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दंडनीय अपराध के आरोपी उम्मीदवारों को लंबित मुकदमे के मामले में भी यह देखते हुए कि न्यायालय ने व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय किए हैं, उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

- **चुनावों से संबंधित विवाद का निर्णय:** संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने सिफारिश की थी कि निर्वाचन याचिकाओं के लिए निर्दिष्ट विशेष निर्वाचन बेंच केवल उच्च न्यायालय में गठित की जानी चाहिए।
    - चुनाव याचिकाओं और विवादों का छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 329B के तहत क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव **न्यायाधिकरण** का भी गठन किया जा सकता है।

- **दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा:** NCRWC ने सिफारिश की है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष के बजाय निर्वाचन आयोग में निहित होनी चाहिए।

- **चुनावों का संचालन और बेहतर प्रबंधन:**
    - **ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध:** चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक निश्चित अवधि के लिए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून में प्रावधान होना चाहिए।

- वर्ष 2010 में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (A) को शामिल करने के माध्यम से केवल एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए गए थे।

★ **निर्वाचन आयोग को अधिकार:** ECI को ऐसे दलों का पंजीकरण रद्द करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए जो चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि लगभग 1600 से अधिक राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं, जबकि उनमें से केवल कुछ ही राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं।

- **राजनीतिक दलों को मान्यता देने और मान्यता रद्द करने** तथा लेखा परीक्षकों के निकाय की नियुक्ति का अधिकार निर्वाचन आयोग को होना चाहिए। ECI के निर्णय केवल भारत के उच्चतम न्यायालय की समीक्षा के अधीन होने चाहिए।
- **निर्वाचन आयोग का बजट भारत की संचित निधि पर** "भारित" होना चाहिए।

★ मतदान केंद्र में मतदान पैटर्न के प्रकटीकरण को रोकने के लिए **टोटलाइजर मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।**

निर्वाचन प्रक्रिया को स्थाई बनाना

चुनावी चक्र दृष्टिकोण: निर्वाचन अधिकारियों के लिए एक उपयोगी शिक्षण उपकरण।

चुनावी चक्र दृष्टिकोण को **इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (IDEA) यूरोपीय आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा एक दृश्य योजना और प्रशिक्षण उपकरण के रूप में विकसित किया गया था जो विकास एजेंसियों, चुनावी सहायता प्रदाताओं और निर्वाचन अधिकारियों को चुनावी प्रक्रियाओं में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की चक्रीय प्रकृति समझने में मदद कर सकता है।

यह विभिन्न चुनावी गतिविधियों की **अन्योन्याश्रिता को समझने में मदद** करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे **निर्वाचन प्रबंधन निकाय (EMB) को विशिष्ट गतिविधियों के लिए** अधिक समयबद्ध रूप से योजना बनाने और संसाधनों का आवंटन करने में मदद मिलती है। विशेष रूप से, यह **चुनाव के बाद** की अवधि को चुनावों के बीच का शून्य मानने के स्थान पर संस्थागत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में महत्व देता है।

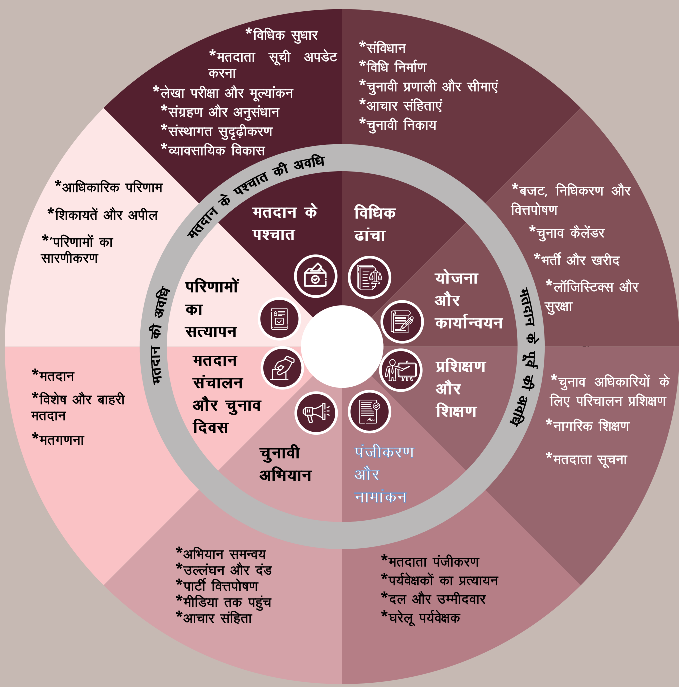

क्या भारत को अपनी मतदान प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है?

विनय: हेलो विनी!

विनी: हेलो!

विनय: क्या आप जानती हो, कि उपरोक्त सभी मुद्दों और चुनाव सुधारों की सख्त आवश्यकता को पढ़ने के बाद, मेरा दृढ़ विश्वास है कि समस्या का मूल कारण भारत में मतदान प्रणाली के प्रकार में है। निर्वाचन की फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट (FPTP) प्रणाली को अब बदला जाना चाहिए। इस बारे में तुम क्या सोचती हो?

विनी: नहीं विनय, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसे सबसे सरल निर्वाचन प्रणाली माना जाता है। इसे समझना आसान है, मतदाताओं के लिए विकल्प स्पष्ट हैं और गणना भी सरल और सीधी होती है। और भारत जैसे देश के लिए, यह सबसे व्यावहारिक मॉडल है।

विनय: लेकिन आप जानती हैं कि इस मॉडल में कई गंभीर समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2014 के आम चुनावों में, बहुजन समाज पार्टी– जो राष्ट्रीय वोट शेयर के मामले में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, को लोकसभा में एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने केवल 3.9% मत प्राप्त करने के बावजूद 34 सीटों पर जीत हासिल की!

इस प्रणाली के परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों की वैधता का अभाव होता है। साथ ही, यह उन दलों को विजयी बनाने में सहायता करती है जो बहुसंख्यक मतदाताओं के बजाय मतदाताओं के विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करती हैं। इसलिए यह विभाजनकारी चुनावी रणनीतियों को बढ़ावा देती है और पार्टियों को दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए प्रोत्साहित करती है।

विनी: हाँ, ऐसा होता है! लेकिन मैं अब भी मानती हूं कि भारत के लिए उपयुक्त, निर्वाचन की कोई वैकल्पिक प्रणाली नहीं है।

विनय: क्या आप जानती हैं कि कुछ आलोचक मतदान की **आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली की वकालत** करते हैं जिसमें प्रत्येक पार्टी को प्राप्त मतों के हिस्से के अनुपात में सीटें प्राप्त होती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अनुसार यह वास्तव में दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय मॉडल है।

विनी: हां, लेकिन इस प्रणाली के लिए सभी उम्मीदवारों को एक राजनीतिक दल द्वारा नामित करने की आवश्यकता होती है और यह स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए अनुमति नहीं देती है। यह प्रणाली प्रभावशाली दल के सदस्यों को आसानी से चुने जाने में सहायता करती है। ऐसे में उम्मीदवार शायद मतदाताओं के स्थान पर अपने दल के नेताओं को संतुष्ट करने पर अधिक ध्यान देगें।

विनय: हाँ, यह सच है। मुझे लगता है कि एक मिश्रित प्रणाली जिसमें दोनों प्रणालियों के गुणों को शामिल किया गया हो, उस पर विचार किया जा सकता है! इस बारे में तुम क्या सोचती हो?

विनी: मिश्रित मॉडल क्या है? क्या कोई देश इसका पालन करता है?

विनय: हाँ! वर्ष 1949 में जर्मनी ने मिश्रित सदस्यीय आनुपातिक मतदान प्रणाली को अपनाया था। प्रत्येक मतदाता दो वोट डालता है– एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार के लिए और दूसरा एक राजनीतिक दल के लिए। इससे थोड़ा भिन्न मॉडल नेपाल में भी उपयोग किया जाता है जिसे समानांतर प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यहां, मतदाता दो भिन्न–भिन्न प्रणालियों का उपयोग करके एकल सदन के लिए दो अलग–अलग चुनावों में प्रभावी रूप से भाग लेते हैं।

विनी: यह आकर्षक है!

विनय: हां, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस मॉडल को भारत में लागू करने के लिए संसद की सदस्य संख्या में बदलाव या निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन की आवश्यकता होगी।

विनी: भारत अपने स्वयं के मिश्रित मॉडल का आविष्कार कर सकता है, जो इसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के अनुरूप होगा। अंततः जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि चुनाव प्रणाली मतदाताओं की इच्छा और नेताओं की वैधता को सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष:

लोकतंत्र के संबंध में **अब्राहम लिंकन** का विचार और दर्शन, लोकतंत्र को, "जनता द्वारा और जनता के लिए" शासन के रूप में वर्णित करता है, जिसे मतदान द्वारा ही वास्तविक रूप दिया जा सकता है। स्वस्थ लोकतंत्र तथा एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए चुनाव सुधार आवश्यक हैं।

किंतु साथ ही, यह समझने की भी आवश्यकता है कि समय–समय पर केवल चुनाव करवाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि भारत के लोकतंत्र से व्यापक सामाजिक अपेक्षाओं को साकार करना है, तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के सुधार द्वारा अंतर्निहित लोकतांत्रिक नींव को सुदृढ़ करना होगा।

विषय पर एक नज़र

निर्वाचन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'एलिगेरे' से हुई है, जिसका अर्थ 'चुनना (choose), चयन (select) या चुनाव (pick)' हैं। निर्वाचन एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से सार्वजनिक पद धारण करने के लिए नियमित अंतराल पर किसी व्यक्ति को चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया है।

लोकतंत्र में निर्वाचन की भूमिका

- उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार बनाना
- नेतृत्व में परिवर्तन
- राजनीतिक दलों की भागीदारी
- लोकतंत्र की निरंतरता
- साझे प्रारब्ध या भाग्य पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रवाद और देशभक्ति का प्रतीक
- सत्ताधारी दलों पर अंकुश लगाकर स्व–सुधारात्मक व्यवस्था को जनता की मांगों पर विचार करने हेतु बनाया गया है।
- नागरिकों को एक–दूसरे से जोड़कर सामाजिक एवं राजनीतिक एकीकरण को सुगम बनाना और इस तरह राज्य व्यवस्था की व्यवहार्यता की पुष्टि करना।
- तरफदारी अभिव्यक्त करने और राजनीतिक समुदाय से अलगाव के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वामित्व ग्रहण करना।

भारत में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे

- चुनावों का वित्तपोषण
- बाहुबल (Muscle Power)
- सरकारी तंत्र का दुरुपयोग
- राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण
- राजनीतिक दलों में जाली उम्मीदवार (Dummy Candidates)
- जातिवाद
- सांप्रदायिकता
- सोशल मीडिया का प्रभाव

चुनावी प्रक्रिया में बेहतरी के लिए सुधार

- पारदर्शिता को बढ़ावा देना
  - चुनावी बांड
  - आय स्रोतों की अनिवार्य घोषणा
- मतदाता भागीदारी में वृद्धि
  - मतदान की आयु कम करना
  - डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान
  - चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
- मतदान प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग
  - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
  - नोटा (NOTA) का विकल्प
- चुनाव की शुचिता बनाए रखना
  - दल–बदल विरोधी कानून का अधिनियमन
  - राजनेताओं का अभियोजन
- एक समान प्रतियोगिता क्षेत्र का निर्माण
  - आदर्श आचार संहिता
  - चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा
  - एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सपने को साकार करने के दिशा–निर्देश (रोडमैप)

- सहभागी लोकतंत्रः चुनावी प्रबंधन निकायों (EMBs) के संस्थागत ढांचे में युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना।
- सार्वजनिक जांच और आंशिक राज्य वित्तपोषण को शामिल करके वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- राजनीतिक दलों में अंतर–दलीय लोकतंत्र और उम्मीदवारों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए।
- राजनीति का गैर–अपराधीकरण
- चुनाव विवाद का अधिनिर्णयन
- दल–बदल विरोधी कानून की समीक्षा करना
- जनमत सर्वेक्षण पर प्रतिबंध लगाकर, उम्मीदवारों के प्रसार, टोटलाइजर मशीन की शुरुआत आदि द्वारा चुनावों का संचालन और बेहतर प्रबंधन